

152



न्यायालय श्रीवाच त्कस्य महोदय म० प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्पसागर

निज - 12 - II - 16

पुनरीक्षण या. क्र.

हेतराम तनय भवानदास ब्राह्मण

निवासी बकस्वाहा जिला उत्तरपुर १४०५०१

----- निगरानीकर्ता

॥ किन्तु ॥

१।१ कृतामा प्रसाद तनय दुर्गा प्रसाद ब्राह्मण

१।२ प्रेमचंकर तनय दुर्गा प्रसाद ब्राह्मण

१।३ प्रभुश्याम तनय दुर्गा प्रसाद ब्राह्मण

समस्त निवासी ग्राम बकस्वाहा तह० बकस्वाहा

जिला उत्तरपुर १४०५०१

----- प्रति निगरानीकर्ताग

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रट० सं०

अधिरुध न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बिजावर जिला उत्तरपुर द्वारा ।

रट० अपील प्र० क्र० 83/अपील /12-13 मे पारित आदेश दि. 17-11-2015

के किन्तु

श्रीवाच त्कस्य 23/12/15
को कोय 24/12/15
को शिवाच 24/12/15
22/12/15
M.P.
23/12/15
R.S.

3



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-12-दो / 2016

जिला-छतरपुर

हेतराम विरुद्ध सुदामा प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 83/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>	